भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA परमाण् ऊर्जा विभाग DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES & ESTATE MANAGEMENT

विक्रम साराभाई भवन/ Vikram Sarabhai Bhavan, दूसरा तल, उत्तर स्कंध / 2nd Floor, North Wing, अण्शक्तिनगर/ Anushaktinagar, मुंबई /Mumbai-400 094.

No. DCSEM/ENFT/Plastic Ban/2019/744

January 24, 2019

CIRCULAR

The Environment Department of Government of Maharashtra and BMC had imposed ban as well as certain restrictions on the use of plastic and thermocol in Mumbai and entire State of Maharashtra owing to pollution and related serious hazards etc. Accordingly, this Directorate had also issued various circulars in the past to all concerned i.e. residents of departmental accommodation in Mumbai, Shop allottees, Canteens, Consumer & Co-operative Societies, Apna Bazaar, Sahakari Bhandar, Bank etc. regarding imposition of ban and certain restriction on the uses of plastic and thermocol.

In this connection, all the residents in Anushaktinagar are again requested not to use plastic for any purposes including disposal of garbage in plastic bags etc. Further, dry and wet garbage are also to be segregated before its disposal. All the residents are also informed to minimize their dry waste as BMC has already stopped collecting the garbage from Anushaktinagar for disposal. Now, disposal of dry waste etc. has become major issue for DCSEM till its permanent solution is found. In case, it is found that residents are still using plastic bag for disposal of day to day garbage etc. necessary action as deemed fit will be taken against them in terms of Allotment Rules.

All Allottees/Residents Associations are, therefore, requested to co-operate.

Through: respective Maintenance Units

- 1) All residents in Anushaktinagar/Mandala
- 2) ARWA, All Residents Associations
- 3) All Notice Boards in Anushaktinagar/Mandala

Copy to: All Heads of DAE Units in Mumbai For circulation amongst their employees.

भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

(प्रवर्तन अनुभाग)

विक्रम साराभाई भवन. दूसरा तल, उत्तरी स्कंध, अणुशक्तिनगर,मुंबई-400 094.

दूरभाष :25487217/25487267

सं/प्रवर्तन/निसेसंप्रनि.प्लास्टिक निषेध/2019/744

24 जनवरी, 2019

परिपत्र

प्रदूषण एवं उससे संबंधित गंभीर खतरों इत्यादि के कारण महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण विभाग एवं बीएमसी द्वारा मुंबई एवं संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में प्लास्टिक एवं थर्मीकोल के उपयोग पर पाबंदी और कुछ प्रतिबंध लगाएं हैं। तदनुसार, इस निदेशालय ने भी पूर्व में सभी संबंधितों अर्थात मुंबई के विभागीय आवासों के निवासियों, दूकानों के आबंटितियों, कैंटीन, उपभोक्ता एवं को-आपरेटिव सोसायटियों, अपना बाजार, सहकारी भंडार, बैंक इत्यादि को प्लास्टिक एवं थर्मीकोल के उपयोग पर पाबंदी एवं प्रतिबंध संबंधी सूचना देने हेतु कई परिपत्र जारी किए हैं।

इस संबंध में, अणुशक्तिनगर के सभी निवासियों से पुन: अनुरोध किया जाता है कि प्लास्टिक थैलियों में कचरे के निपटान सहित किसी भी कारणवश प्लास्टिक का उपयोग न करें। आगे, निपटान से पूर्व सूखे और गीले कचरे का पृथक्करण भी किया जाना चाहिए । चूँकि बीएमसी ने अणुशक्तिनगर से निपटान हेतु कचरा इकट्ठा करना बंद कर दिया है, अत: सभी निवासियों को यह सूचित किया जाता है कि अपनी ओर से सूखा कचरा कम से कम उत्पादित करें। अब, सूखे कचरे के निपटान हेत स्थायी उपाय मिलने तक, निसेसंप्रनि के लिए सूखा कचरा निपटान एक बडी समस्या बन गई है। यदि यह पाया गया कि दैनंदिन कचरे के निपटान इत्यादि में निवासी प्लास्टिक थैलियों का उपयोग जारी रखते हैं तो आबंटन नियमों के अनुसार उनके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी ।

अत: अनुरोध है कि सभी आबंटिति/रहिवासी संघ अपना सहयोग दें।

मुख्य प्रशासन अधिकारी

1. अणुशक्तिनगर/मंडाला के सभी निवासी

2. आरवा, सभी रहिवासी संघ

अणुशक्तिनगर/मंडाला के सभी सूचना पट्ट प्रतिलिपि : मुंबई स्थित पऊवि यूनिटों के प्रमुख संबंधित अनुरक्षण यूनिटों के द्वारा

उनके कर्मचारियों के बीच परिचालन हेत्